# ायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (अलवर)

अध्याशितः– श्री गंगाधर मीणा आर0ए0एस

| | | |
|---|---|---|
| 0पत्र सं0 | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक |
| 1/20 | 29.9.20 | 18.11.22 |

उनवान

. लालचंद
2.रतनलाल पुत्रान स्व0 श्री हीरालाल जाति जाटव निवासीयान ग्राम नुरनगर तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर राज0।

– प्रार्थीगण/वादीगण

बनाम

1. सुंदर
2. महेश पुत्रान श्री बालकिशन
3. गणेशीलाल पुत्र मनसुख जाति जाटव निवासी नूरनगर तह0 किशनगढबास
4. सम्पत पुत्र श्री घानिया
5. राजेश पुत्र श्री घानिया जाति जाटव निवासीयान नूरनगर तहसील किशनगढबास
6. प्रदीप पुत्र रामकुमार
7. डालचंद पुत्र चंदगीराम
8. हरिया उर्फ हरिराम पुत्रय चंदगीराम
9. बलबीर पुत्र चंदगीराम जाति जाटव निवासीयान ग्राम नूरनगर तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर राज0।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लेण्ड होल्डर किशनगढ़बास तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर प्रान्त राजस्थान।

– अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

दावा इश्तकराहक मय दुरूस्ती
प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0 एक्ट0

उपस्थितिः–1. प्रार्थीगण की ओर से श्री विजय चौधरी एड0।
2. अप्रार्थीगण की ओर से श्री धर्मपाल एड0।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

## निर्णय प्रार्थना पत्र 212

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है। प्रार्थीगण ने र्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा संख्या साबिक 437 मिन रकबा -05 बिस्वा, 438 रकबा 0–08 बिस्वा, 439 रकबा 0–02 बिस्वा कुल किता 03 कुल कबा 0–15 बिस्वा, जिनके हाल खसरा नंबर 696 रकबा 0–15 बिस्वा (0.1900हे0) ायम हुये हैं जो स्थित वाके ग्राम नुरनगर तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर में थति है। उक्त आराजी प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी कहलावेगी। वास्ते मुलाहिजा क्ल जमाबंदी संलग्न वादपत्र है। विवादित आराजी हम प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण व रतीबी अप्रार्थीगण के बुजुर्गान तुल्ला, मनसुख, जीसुख व रामधन की आराजी थी। जिसकी बाबत राजस्व रिकॉर्ड में इनके नाम का अंकन बहिस्से बराबर–बराबर दर्ज हो रहा था। हमारे बुजुर्गों का उक्त आराजी में समान हक व हिस्सा रहा, तथा हमारे बुजुर्ग उक्त आराजी के अपने 1/4–1/4 हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते थे, तथा उनकी फोतिदगी के बाद प्रार्थीगण व असल प्रतिवादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण उक्त आराजी के अपने–अपने हिस्से पर शांति पूर्वक काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं। सेटलमेंट से पूर्व उक्त आराजी का एक ही रकबा था तथा हमारे बुजुर्ग उक्त आराजी पर काश्त करते थे किंतु वक्त सेटलमेंट विभाग के कर्मचारियों ने उक्त आराजी की बाबत हमारे बुजुर्गों मनसुख पुत्र रिखिया के ही नाम का अंकन उक्त आराजी हाल खसरा नंबर 696 रकबा 0–15 बिस्वा (0.1900हे0) की बाबत कर दिया जिसके कारण उक्त आराजी में हमारे बुजुर्ग मनसुख अकेले के नाम का ही अंकन बतौर पट्टेदार , गैरखातेदार हो गया जो अंकन सेटलमेंट विभाग द्वारा गलती से किया था, जबकि उक्त आराजी में हमने अन्य बुजुर्ग तुल्ला, जीसुख व रामधन का भी समान हक–हिस्सा था। किंतु सेअलमेंट विभाग द्वारा केवल मनसुख के ही नाम का अंकन कर दिया जो हम प्रार्थीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के हकूकों के विपरीत है।

हमारे बुजुर्ग मनसुख के अकेले नाम का ही अंकन बतौर पट्टेदार गैरखातेदार दर्ज होने की जानकारी हमारे बुजुर्गों को किसी भी प्रकार नही कीं थी, हमारे बजुर्गो जो कि सीधे सादे ग्रामीण अनपढ़ व्यक्ति थे जिनको उक्त गलत अंकन की जानकारी कतई नहीं थी, तथा हमारे बुजुर्ग मनसुख के नाम का अंकन उक्त आराजी की बाबत होने के कारण उसकी फोतगी के बाद उक्त आराजी उसके वारिसान धानियाराम, चंदगीराम, गणेशीलाल पि. मनसुख व सुंदरलाल, महेश कुमार पुत्रान बालकिशन प्रतिवादीगण के नाम विरासत दर्ज कर उक्त आराजी असल प्रतिवादीगण व उनके बुजुर्गों के नाम पट्टेदारी गैरखातेदार का अंकन दर्ज कर दिया गया। जो अंकन गलत रूप से किया गया है। जिसकी जानकारी हम प्रार्थीगण व हमारे बुजुर्गों को नहीं थी। विवादित आराजी मे हमारे बुजुर्गों का प्रत्येक 1/4–1/4 हिस्सा बनता है, इसी प्रकार हमारे बुजुर्ग उक्त आराजी

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

अपने–अपने हिस्से पर काबिज थे तथा उनकी फौतिदगी के बाद हम प्रार्थीगण व
ार्थीगण व असल प्रतिवादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से पर काबिज
कर काश्त कर रहे हैं। इसी मुताबिक प्रार्थीगण अपने हिस्से की बाबत राजस्व रिकॉर्ड
अपने नाम का खातेदारी का अंकन कराकर दुरूस्ती कराकर प्रार्थीगण आराजी की
मत कर्जा जमा कराकर अपने हिस्से मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम का
तेदारी का अंकन कराने के मुस्तहक हैं। इसी कदर ताहाल राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती
जाकर प्रार्थीगण को हिस्से मुताबिक आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया
कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जावे। दिनांक 7–12–2017 को प्रार्थीगण हल्का
टवारी के पास राजस्व रिकॉर्ड की नकलात प्राप्त करने गये तब प्रार्थीगण की जानकारी
आया कि उक्त आराजी के हाल राजस्व रिकॉर्ड में हमारे बुजुर्ग मनसुख के वारिसान
उनके बुजुर्गों के नाम का अंकन पट्टदार गैरखातेदारी दर्ज हो रहा है। जिस पर
र्थीगण ने अप्रार्थीगण से मिलकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कराने के लिए कहा तो
सल प्रतिवादीगण ने ऐलानिया धमकी दी कि वो आराजी की खातेदारी प्राप्त कर
ाराजी को बैंक अथवा संस्था में रहन रखकर मोटा लाभ कमायेगें तथा आराजी को ऊंचे
ामों में किसी दीगर व्यक्ति को बेचान करेंगे प्रार्थीगण को नुकसान पहुंचाकर रहेंगे।
जिस पर प्रार्थीगण ने उक्त अनुवान का मुकदमा न्यायालय श्रीमान में पेश किया जो
विचाराधीन है। दिनांक 1–8–2020 को समस्त अप्रार्थीगण अपने साथ मजदूर मिस्त्री को
लेकर हाथों मे गेती, फावडे, सरिया आदि लेकर आराजी विवादित पर आये और आते ही
आराजी विवादित में नीव आदि खोदने लगे, जब प्रार्थीगण ने अप्राथीगण को आराजी
विवादित में जबरन नीव आदि खोदकर निर्माण करने से मना किया और प्रार्थीगण ने
अदालत में आराजी विवादित की बाबत वाद विचाराधीन होने बावत कहा तो अप्रार्थीगण
ने ऐलानिया कहा कि हम आराजी विवादित में नीव आदि खोदकर मकान निर्माण करके
रहेंगे, ऐसे वाद अदालतों में यू ही चलते रहते हैं, मिन किसी अदालती कार्यवाही को
नही मानते हैं। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के साथ झगड़ा करने लगे तथा आराजी विवादित
की बाबत वाद विचाराधीन होने के बावजूद भी नीव खोदकर निर्माण करने लग गये हैं।
ऐलानिया धमकी दी है कि वो प्रार्थीगण की उक्त विवादित आराजी पर जबरन लठ के
बल पर कब्जा करके निर्माण कार्य करके ही रहेगा तथा प्रार्थीगण को उनके हिस्से की
आराजी से जबरन लठ के
बल पर बेदखल करके रहेंगे। यदि अप्रार्थीगण अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गये
तो प्रार्थीगण/वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी
सूरत में रूपयों में नहीं आंकी जा सकेगी। जिसके कारण प्रार्थीगण/वादीगण
अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी हैं।
आराजी विवादित मे प्रार्थीगण का हक व हिस्सा है तथा प्रार्थीगण अपने अपने हिस्से की

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

जी पर काबिज है तथा आराजी पर काश्त करर्य करते हैं जिसके कारण बेलेन्स
फ कन्चिनियंस बहक प्रार्थीगण के हक में है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि
ार्थीगण/प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वो
ादित हाल खसरा नंबर-696 रकबा 0-15 बिस्वा (0.1900हे0) कायम हुए हैं जो स्थित
के ग्राम नुरनगर तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर में स्थिति में अप्रार्थीगण किसी
कार नीव आदि खोदकर कच्चा अथवा पक्का निर्माण कार्य नही करें , ना ही प्रार्थीगण
आराजी के उनके हिस्से से बेदखल करे, ना ही आराजी विवादित के किसी
ज/भाग में जबरन निर्माण कार्य ना करे, आराजी विवादित को प्रार्थीगण को जबरन
ाराजी उक्त से बेदखल ना करे, आराजी विवादित को प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण दीगर
गह पर रहन, बय आदि से मुन्तकिल ना करे प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी में
प्रार्थीगण किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत पैदा ना करे, ना ही आराजी विवादित
किसी प्रकार का निर्माण आदि ना करे, ना ही प्रार्थीगण को आराजी के उनके हिस्से
से जबरन बेदखल ना करे प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी में बोई वो कुदरती पैदावार
को नष्ट ना करे। राजस्व रिकॉर्ड में कोई परिवर्तन ना करे। ना ही राजस्व रिकॉर्ड में
किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना करे मौका व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाई रखी
जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थीगण 1 लगा0 9 ने उपस्थिति होकर प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का इस आराजी से कोई संबध वो सरोकार नही है। यह आराजी किसी प्रकार से विवादित नही है बल्कि मिन अप्रार्थीगण की आराजी है। जो मृतक मनसुख से विरासत में प्राप्त हुई है। जिस पर हम अप्रार्थीगण शांतिपूर्वक काबिज वो दाखिल हैं।वादीगण या तरतीबी प्रतिवादीगण का इस आराजी से किसी भी प्रकार का कोई सरोकार वो संबंध या कब्जा न तो था ना है। यह आराजी कस्टोडियन सरकार की आराजी थी जो सरकार द्वारा संवत् 2024 में अकेले मनसुख को पट्टे पर दी गई थी और मौका पर अकेले मनसुख को ही कब्जा दिया गया था। मनसुख अपने जीवनकाल में बहैसियत पट्टेदार काबिज रहा और उसकी मृत्यु के बाद हम अप्रार्थीगण शांतिपूर्वक काबिज आ रहे हैं। मनसुख को पट्टे पर मिली तो उस सूरत में मनसुख के नाम का सही तौर पर इन्द्राज किया गया है।

प्रार्थीगण किसी प्रकार की कोई दादरसी पाने के अधिकारी नहीं है, प्रार्थनापत्र मय खर्चा काबिल खारिज है जो खारिज किया जावे।

वकील पक्षकरान की बहस सुनी गई । वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

घाज्ञा से ताफैसला दावा पाबंद किया जावे। वकील अप्रार्थीगण ने अपने जबाब में
क्त तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा
रिज फरमाया जावे। तथा नजीरे पेश कि गई।

वकील पक्षकरान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का
लोकन किया पत्रावली में संलग्न दस्तावेज से साबित है कि विवादित आराजी
स्टोडियन भूमि थी। अप्रार्थीगण के द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 02.01.1973 की अपील
जानी चाहिए थी। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज मिलान क्षेत्रफल से भी रकबा मिलान
ही करता। रहा सवाल दादालाई आराजी का प्रश्न के सन्दर्भ में वकील प्रार्थी ने ऐसा
ोई दस्तावेज पेश नही किया कि जिससे साबित हो सके कि विवादित आराजी प्रार्थीगण
ी बजुर्गान की अलोटशुद्धा आराजी है। प्रार्थीगण का मौके पर काबिज होने बावत भी
ोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नही किये है जिससे यह साबित हो सके कि प्रार्थीगण आराजी
ख0न0 696 रकबा 0.15 बिस्वा (0.19) हे0 के 1/4 हिस्से पर काबिज काश्त है वर्तमान
ाजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है रहा बुजुर्गान को आवंटन भूमि
र हक हकूको का निर्णय मूलवाद में आवश्यक साक्ष्य सबूत पेश होने पर ही तय होगें ।
अतः अप्रार्थीगण हाल राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार होने के कारण सुविधा का संतुलन
एवं नापूर्तिक्षति अप्रार्थीगण को ही है। अतः प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र सिद्ध नही होने
के कारण खारिज किया जाना उचित एवं न्यायासंगत समझते है प्रार्थीगण द्वारा पेश
प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है।

अतः आदेश है कि :-

प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना 212 आर0टी0एक्ट0 बाबत आराजी खसरा नं0
हाल खसरा नंबर-696 रकबा 0-15 बिस्वा (0.1900हे0) वाके ग्राम नुरनगर तहसील
किशनगढ़बास सिद्ध नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार
होकर संलग्न मूल वाद रहे। सुनाया गया।

**यह निर्णय आज दिनांक 18.11.22 को मेंरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)